न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 02/2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये तात्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर जोन, जोधपुर		1. बद्रीराम टाक पुत्र श्री जीवनराम (**विक्रेता/मालिक**) मै.जयश्री किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, सोयला तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर निवासी-271, मालियों का बास, सोयला तहसील बावड़ी जिला जोधपुर 2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि श्री नथमल (**मालिक**) मै.सालासर ट्रेडर्स, बड़ली रोड़, कुन्दन सिटी नागौर निवासी बिस्सों का चौक, जेहारवाड़ी, नागौर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (ZF) (C) (i) एवं धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 एवं 52 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश भाटी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.09.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 10.01.2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स जय श्री किराणा स्टोर बस स्टेण्ड सोयला तहसील बावड़ी जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर विक्रेता की हैसियत से श्री बद्रीराम टाक पुत्र श्री जीवनराम निवासी 271 मालियों का बास, सोयला तहसील बावड़ी जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ **कुकिंग फेट (मधु लाईट) प्रोपराइटरी फूड** (हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, मिल्क फेट व रिफाइन्ड ऑयल से निर्मित्त) 500 एम.एल.पैक जार का स्टॉक बेचने हेतु अपने कब्जे में रखे हुए पाया गया। विक्रेता/मालिक से वर्ष 2018 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने पेश किया एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। फर्म का निरीक्षण करने पर एक रैक 5 पैक्ड **कुकिंग फेट (मधु लाईट) प्रोपराइटरी फूड** (हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, मिल्क फेट व रिफाइन्ड ऑयल से निर्मित्त) 500 एम.एल. भरती प्रत्येक रखे हुए थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 480/- नगद देकर **कुकिंग फेट (मधु लाईट) प्रोपराइटरी फूड** (हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, मिल्क फेट व रिफाइन्ड ऑयल से निर्मित्त) 500 एम.एल.पैक जार के एक ही बैच एवं निर्माण तिथि की 4 पैक जार वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **कुकिंग फेट (मधु लाईट) प्रोपराइटरी फूड** (हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, मिल्क फेट व रिफाइन्ड ऑयल से निर्मित्त) 500 एम.एल.के 4 पैक हेतु चार लेबल

तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एडी-690** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एडी-690** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर जोन जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एडी-690** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर जोन जोधपुर द्वारा दिनांक 11.01.2018 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एडी-690** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/18/एक्ट/2018/43 दिनांक 29.01.2018 अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जोधपुर जोन जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **कुकिंग फेट (मधु लाईट) प्रोपराइटरी फूड** (हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, मिल्क फेट व रिफाइन्ड ऑयल से निर्मित्त) का नमूना admixture होने के कारण **अमानक स्तर (Sub Standard/Does not conform)** एवं न्यूट्रीशनल इन्फोरमेशन नहीं लिखे होने के कारण **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन एवं पदस्थापना आदेश कार्यक्षेत्र जोधपुर की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, नमूना संख्या एडी-690 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद, नमूना संख्या एम-690 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, जांच रिपोर्ट फार्म बी अग्रेषण पत्र 199-200, जांच रिपोर्ट फार्म बी एलएस/18/एक्ट/2018/43, बद्रीराम टाक का पहचान पत्र व खाद्य अनुज्ञा पत्र, मै. सालासर ट्रेडर्स को लिखा पत्र, मै. सालासर ट्रेडर्स का फार्म वेट 03 व आधार कार्ड की प्रति एवं न्याय निर्णयन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को लिखा पत्र मूल प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 04.01.19 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 04.09.19 को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी दुकान से नमूना एडी-690 कुकिंग फेट (मधुलाईट) प्रोप्राईटरी फुड का लिया गया था, अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी संख्या 02 से दिनांक 08.01.2018 को जरिये बिल खरीदकर जिस

स्थिति में पैक्ड खरीदे उनको उसी स्थिति में लाकर रखा तथा एक भी पैक्ड आईटम का बेचान नहीं किया था। उक्त पैक्ड खाद्य पदार्थ के साथ किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गयी एवं न ही पैक्ड आईटम को खोला गया है। अप्रार्थी संख्या 2 से उक्त पैक्ड आईटम खरीदने से पूर्व उसके सबस्टेण्डर्ड होने की बिल्कुल जानकारी नहीं रही है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी दुकान में आज तक किसी भी प्रकार का सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का बेचान नहीं किया गया है। दुकान से उक्त सेम्पल लिये जाने के बाद पैक्ड आईटम को दुकान से हटा लिया था एवं सबस्टेण्डर्ड होने की जानकारी होने पर उक्त पैक्ड आईटम का बेचान नहीं किया एवं उन सभी पैक्ड आईटम को नष्ट कर दिया था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के किसी भी प्रावधान की अवहेलना नहीं की गयी है इसलिए यदि किसी भी प्रकार का कोई केस बनता है तो केवल अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध हीं बनता है। अत: अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी 01 की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 ने दिनांक 22.08.2019 को स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण से से संबंधित अपना जवाब पेश किया जिसमें बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से नमूना एडी-690 कुकिंग फेट (मधुलाईट) प्रोप्राईटरी फुड का लिया गया था जो सबस्टेण्डर्ड व मिसब्रान्ड पाया गया है। उक्त पैक्ड माल मेरे द्वारा नहीं बनाया जाता है जिस स्थिति में माल आता है उसी स्थिति में पैकिंग माल बेच दिया जाता है तथा इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं कि गई है। उक्त आईटम मेरे द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को बेचा गया है। भविष्य में मेरे द्वारा इस तरह की गलती नहीं की जायेगी। अत: अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर कम से कम जुर्माना करने एवं उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 एवं धारा 52 के तहत दोषी है। अत: **अप्रार्थी संख्या 01 पर शास्ति रूपये 5,000/-** (अक्षरे रूपये पाँच हजार मात्र) व **अप्रार्थी संख्या 2 पर शास्ति रूपये 10,000/-** (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 09.09.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 09.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर